न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर, जौनपुर।

वाद संख्या:- 50 धारा- 143 ज0वि0अधि0
मौजा- सेमरी परगना ख़परहा तहसील सदर
केशजीत बनाम सरकार

निर्णय

केशजीत पुत्र रामदुलार निवासी ग्राम सेमरी परगना ख़परहा तहसील सदर जिला जौनपुर ने आराजी संख्या 223/0-248, 226/0-122, 223/0-942, 330/0-304, 229मि 0-106, 230मि/0-041, 231मि/0-056 कुल 7 गाटा 1-329 हे0 स्थित मौजा सेमरी परगना ख़परहा तहसील सदर जिला जौनपुर शिक्षा दायी संस्था" रामदुलार पहलवान महाविद्यालय सेमरी जौनपुर" के नाम संक्रमणीय भूमिधरी है तथा आराजियात उक्त पर संस्था का कब्जा दखल है।उक्त आराजी नम्बरान में संस्था की पठन पाठन हेतु कक्षायें कार्यालय, वाचनालय, लैट्रिन, बाथरूम, पेयजल हेतु हैण्डपम्प, तथा पठन पाठन के अलावा व्यायाम एवं खेलकूद के उपकरण तथा अनेकों किस्म के दरख्तान मौजूद है, सम्पूर्ण रकबे पठन पाठन एवं उससे सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु उपयोग में लायी जा रही है तथा छात्र- छात्राओं के खेलने कूदने हेतु क्रीड़ा स्थल के रूप में उपयोग उपभोग की जा रही है। आराजियात मौके पर पूर्णतः अकृषिक है, कतई जोता बोया नहीं जाता है। कृषि कार्य से इतर कार्य पठन पाठन एवं इसी से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु उपयोग में लाई जा रही है। आराजी नम्बरान उक्त मौके पर अकृषिक कार्य के लिये उपयोग में लायी जाने के कारण तथा उसमें पठन पाठन हेतु भवन खेलकूद का मैदान तथा अनेक किस्म के पेड़ पौधे मौजूद होने के कारण तथा खेती बारी न होने की दशा में राजस्व अभिलेखों में आराजी नम्बरान उक्त अकृषिक घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अन्त में याचना किया है कि आराजी निजाई अकृषिक घोषित किया जाय।

उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक तहसीलदार सदर से नियत प्रारूप में आख्या मंगायी गयी जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार सदर ने इस आशय की आख्या प्रेषित किया है कि आराजी नम्बर 223/0-248, 226/0-122, 228/0-942, 330/0-304, 229मि/0-106, 230मि 0-041 231 मि/0-056 स्थित ग्राम सेमरी परगना ख़परहा तहसील सदर जिला जौनपुर शिक्षादायी संस्था रामदुलार पहलवान महाविद्यालय प्रबन्धक केशजीत पुत्र रामदुलार सेमरी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। मौके पर उक्त नम्बरान में उक्त संस्था का भवन तथा छात्र - छात्राओं के पठन पाठन हेतु कई कक्षे कार्यालय, वाचनालय, शौचालय, बाथरूम एवं हैण्डपम्प स्थित है तथा खेलकूद का मैदान जिसमें खेल से सम्बन्धित संसाधन मौजूद है एवं अनेकों प्रकार के वृक्ष लगे हुये है उक्त नम्बरान के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 1-329 हे0 का उपयोग पठन पाठन एवं संस्था से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु किया जा रहा है पूर्णतः अकृषिक है जोती बोयी नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सदर का आख्या दिनांक 15-5-13 स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश

ग्राम सेमरी परगना ख़परहा तहसील सदर जिला जौनपुर की आराजी संख्या 223/0-248, 226/0-122, 223/0-942, 330/0-304, 229मि/0-106 230मि 0-041, 231मि/0-056 कृषि मालगुजारी कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर एवं उपनिबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दा0द0 हो।

सही प्रतिलिपि
उपजिलाधिकारी,
सदर, जौनपुर।

6-2-13